International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 2, February- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राज्य मानवाधिकार आयोग–राजस्थान

डॉ. सोनू लाल मीना
सह–आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी (राजस्थान)

प्राचीन काल से विश्व में मानवाधिकार की अवधारणा ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था। अरस्तू का न्याय सिद्धान्त, प्राचीन भारत में महाभारत के शांतिपर्व में राजा के आचरण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण, सम्राट अशोक के समान प्रजा को सन्तान के समान मानना आदि ऐसे उदाहरण है जिनमें मानवाधिकार अवधारणा का उल्लेख मिलता है। वसुधैव कुटुम्बकम जो भारतीय संस्कृति का मूल रहा है जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोंक के प्राकृतिक अधिकार भी मानवाधिकारों के वाहक है।

मानवाधिकार का अर्थ– मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त होते है, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (घ) में मानवाधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, स्तंत्रता, समानता एवं गरिमा से सम्बन्धित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय करारो में सम्मिलित है और भारत में न्यायालों द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रसिद्ध विचारक हेरोल्ड लास्की के अनुसार'' अधिकार सामजिक जीवन की वह परिस्थितियॉ होती है, जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाता।''इन्हे मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, नैसार्गिक अधिकार व जन्मजात अधिकार भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के क्रिया कलापों से होता है। उसका गठन मार्च 2000 में हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(घ) के अनुसार मानव अधिकारों से तात्पर्य संविधान प्रदत्त प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविक्षाओं में अन्तर्निहित उन अधिकारों से है जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से आश्वस्त संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसम्बर 1966 को अभिस्वीकृत, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा से है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियॉ –

1. स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर (i) मानव अधिकारों के उल्लघन या उसके अपमान की या (ii) किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जॉच करेगा।
2. किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा।
3. राज्य सरकार को सूचना देने के अधीन, राज्य सरकार के नियत्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहॉ का उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरूद्ध किया जाता है या रखा जाता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 2, February- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

4. मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत किसी कानून द्वारा उसके अधीन प्रवाहित संरक्षणों का पुनरावलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी कियान्वयन के लिए सिफाारिशें करेगा।
5. उन कारकों का जिसमें उग्रवाद के कृत्म भी है, मानव अधिकारों के उपयोग में वाधा डालते है। पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा।
6. मानव अधिकारों ने क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा।
7. समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशकों, साधनों सेमीनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता को विकसित करेगा।
8. मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले और सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा।
9. ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हे वह मानव अधिकारों के संवर्द्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

निहित जॉच से सम्बन्धित शक्तियॉ–अधिनियम के अन्तर्गत किसी शिकायत की जॉच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1998 अन्तर्गत निम्न मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियॉ प्राप्त होंगी।

1. गवाहों को सम्मान जारी करके बुलाने तथा उन्हें हाजिरी हेतु बाध्य करने एवं उन्हें शपथ दिलाकर परखने के लिए किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसकों प्रस्तुत करने के लिए ।
2. शपथ पत्र पर गवाही देने के लिए।
3. किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख अथवा दूसरी प्रतिलिपि की मांग करने के लिए ।
4. गवाहियों तथा दस्तावेजों की जॉच हेतु कमीशन जारी करने के लिए निर्धारित किये गये किसी अन्य मामले के लिए।

आयोग के पास अपना अन्वेषण दल–मानव अधिकारों के हनन से सम्बन्धित शिकायतों की जॉच करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को इस बात की भी छूट प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकें।

आयोग स्वायन्तशासी निकाय–आयोग की स्वयन्दता उसके सदस्यों की नियुक्ति के ढंग उनके कार्याकाल की स्थिरता और सांविधिक गांरटी उनको दी गई पदवी और आयोग के लिए जिसमें अन्वेषण अभिकरण भी शामिल है उनके कार्य निष्पादन से स्पष्ट हो जाती है। आयोग की वित्तीय स्वायत्रता का वर्णन अधिनियम की धारा 33 में किया गया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष गृहमंत्री एवं विधानसभा के विपक्ष के नेता सदस्य है, की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

आयोग का कार्यक्षेत्र – आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते है जिनमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। आयोग, हिरासत में मौत बलात्कार, उत्पीडन, पुलिस जेलों में ढांचागत सुधार, सुधारगृहों, मानसिक अस्पतालों की हालत सुधारने के मामलों पर विशेष ध्यान दे रहा है। समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने की पुष्टि से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को आवश्यक तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, गरिमा के साथ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 2, February- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जीवन व्यतीत करने, माताओं तथा बच्चों के कल्याण हेतु प्राथमिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आयोग ने सिफारिश की है। समानता और न्याय स्थापित करना, नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों, विस्थापितो की समस्याएं, भूख के कारण मौत, बलाश्रमिकों का शोषण, बाल वेश्यावृति , महिलाओं के अधिकरों आदि पर आयोग ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग – राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजकीय अधिसूचना दिनांक 18.01.1999 के द्वारा किया गया था व निम्नवत रूप से आयोग ने अपना कार्य मार्च 2000 से आरंभ किया। आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार पूर्णकालिक सदस्य होते है। आयोग का वर्तमान में कार्यालय राजस्थान सचिवालय में स्थित है।

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति–मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गृहमंत्री विपक्ष का नेता। आदि की सिफारिश पर राज्यपाल करता है।

आयोग के सदस्य को हटाया जाना–उपधारा 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य को इसके पद से, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस सम्बन्ध में विदित प्रक्रिया के अनुसार की गई जॉच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य यथास्थिति को किसी ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए।

1. उपधारा में किसी राष्ट्रपति द्वारा –
    1. दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया।
    2. अपने कार्यकाल में अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार से लगता है।
    3. मस्तिष्क या शरीर की दुर्वलता के कारण।
    4. किसी अपराध के लिए राष्ट्रपति की नैतिक पहल।

राज्य आयोग की पदावधि–अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पांच वर्ष की अवधि या जब तक सत्तर वर्ष की आयु का नहीं होगा, जिनमें जो भी पूर्व में हो, पद को धारित करेगा।

सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसके वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद को धारित करेगा तथा पांच वर्षो की दूसरी अवधि के लिए पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र. होगा परन्तु यह कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद को धारण नहीं करेगा। आगे अपात्र होगा।

सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यो का निर्वहन करना–अध्यक्ष की मृत्यु होने, त्याग पत्र देने के कारण या अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, उस रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक के लिए प्राधिकृत करेगा।

राज्य आयोग के सदस्यों की सेवाशर्ते–सदस्यों के संदेय वेतन एवं भत्ते, उनकी सेवा की अन्य शर्ते एंव निबन्धन से होगी जो राज्य द्वारा विहित की जाएगी परन्तु यह कि किसी सदस्य के न तो वेतन भत्ते और न सेवा की शर्ते एवं निवन्धन उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगी।

राज्य आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी –राज्य सरकार के सचिव रैंक से कम नहीं वह राज्य आयोग का सचिव होगा 2. महानिरीक्षक रैंक का अन्वेषण कर्ता 3. राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेगे राज्य आयोग ऐसे समय प्रशासनिक पुलिस तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ नियुक्त करेगा। 4. उपधारा 2 के अधीन जो

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 2, February- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएगे अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं उनकी सेवा की शर्ते वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

आयोग द्वारा शिकायतों की जॉच प्रणाली–मानव अधिकारों के हनन से सम्बन्धित शिकायतों की जॉच करते समय आयोग राज्य सरकार अथवा उनके अधीन किसी अन्य प्राधिकरण अथवा संगठन से निर्दिष्ठ तारीख तक आयोग को सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह अपनी ओर से स्वयं शिकायत की जॉच कर सकता है।

दूसरी ओर ऐसी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि अब आगे कोई जॉच करने की जरूरत नहीं है अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित जॉच शुरू कर दी गई है तो वह आम तौर से ऐसी शिकायत पर आगे जॉच नहीं करेगा तथा तदनुसार शिकायत कर्ता को तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना दे देगा।

जॉच के बाद आयोग की कार्यवाही– जॉच के बाद आयोग को यहॉ यह पता चलता है कि लोक सेवक द्वारा मानव अधिकरों का हनन किया गया है अथवा ऐसे हनन को रोकने की उपेक्षा की है तो ऐसी स्थिति में आयोग राज्य अथवा प्राधिकारी को सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन अथवा ऐसी अन्य कार्यवाही शुरू करने की , जो उचित हों, अनुशंसा कर सकता है।

आयोग उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों अथवा रिपोर्टो के लिए जो भी वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध कर सकता है।

आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों को जैसे की आयोग जवकि राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अग्ररिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

शिकायत की शाखाः– शिकायतें हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी शाखा में भेजी जा सकती है।

शिकायतें अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए।

शिकायतों के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।

आयोग जब भी आवश्यक समझे आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना भेजने तथा शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है। आयोग स्वविवेक से तार तथा फैक्स, ईमेल द्वारा भेजी गई शिकायतें भी स्वीकार कर सकता है।

शिकायत आयोग के टेलीफोन नम्वर पर भी की जा सकती है।

आयोग द्वारा किन शिकायातों पर कार्यवाही नहींः–

1. ऐसी घटनाऐं जिनकी शिकायतें उनके धटित होने के एक साल बाद की गई है।
2. ऐसी शिकायतें भी जो स्पष्ट, बिना नाम अथवा छदम नाम से की गई है।
3. ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है।
4. ऐसी शिकायतें जो ओछेपन की परिचालक हो,
5. यदि किसी शिकायत पर अन्य सक्षम आयोग द्वारा पूर्व में ही कार्यवाही आरंभ की जा चुकी हो।
6. ऐसी शिकायतें जो सेना से सम्बन्धित मामलों के बारे में हो।
7. ऐसी शिकायत जो मूल रूप से किसी अन्य आयोग अधिकारी प्राधिकारी को सम्बोधित की गई हो।

आयोग द्वारा प्राधिकारीः– राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की सूचना एक महिने के अन्दर भेजनी होती है।

आयोग के अन्य कार्यः–

1. पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के अधिकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 2, February- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

2. मानसिक अस्पतालों की गुणवक्ता में सुधार।
3. जिला मुख्यालय में मानव अधिकार सेलों की स्थापना।
4. मैल ढोने की प्रथाम समाप्त करने के लिए प्रयास।
5. हिरासत में हुई मौतो, बलात्कार और मानवीय उत्पीडन को रोकने के उपाय।
6. गैर अनुसूचित और खानावदोस जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सिफारिशे करना।
7. व्यवस्थागत सुधार। 1. पुलिस 2. जेल 3. नजर बन्दी केन्द्र।
8. जन स्वास्थ्य प्रदूषण नियन्त्रण, खाद्य परार्थ में मिलावट की रोकथाम, औसंधियों में मिलावट व अवधी पार औषधियों पर रोक।
9. माताओं में अल्परक्तता और बच्चों में जन्मजात मानसिक अपंगता की रोकथाम।
10. मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार और अधिकारों के प्रति जारूकता में वृद्धि।
11. एच. आई.वी. एड्स से पीडित लोगों के मानव अधिकार।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संरक्षणः– गिरफ्तार व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है तब तक उसे आरोपी सिद्ध न कर दिया जावे।

1. गिरफ्तारी से सम्बन्धित एण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रावधान जब किसी संदिग्ध दोषी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को गिरफ्तार करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 तथा 47 (2) को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करनी पड़ती है। परन्तु गिरफ्तार करने से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50,55 तथा 76 के अनुसार उस व्यक्ति को पुलिस से यह पूछने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। या उसका जुर्म क्या है।
2. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 के अनुसार प्रत्येक गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य है क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस हिरासत में रखना गैर कानूनी है।
3. पुलिस हिरासत में रखे लोगों के साथ मारपीट करना भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 330, 336 और 348 के अनुसार अपराध है।
4. प्रत्येक संदिग्ध एवं पीडित व्यक्ति को अधिकार है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अनुसार पुलिस द्वारा या अन्य प्रकार से आई चोटों के विषय में सरकारी डॉक्टर से डॉक्टरी परीक्षण कर सकता है ताकि वह हिंसा को सिद्ध कर सके।

पूछताछ सम्बन्धी प्रावधानः– पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री मैथड्स का प्रयोग करना या अत्याचार करना गैर कानूनी है। यदि पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में मारपीट करके कोई चोट पहुचायी गई हो तो व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार सरकारी डॉक्टर से डॉक्टरी जॉच करवा सकता है और मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकता है।